POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.08.2025

थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मुकदमें से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-163/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र किशनलाल हरिजन उर्फ नन्हे निवासी ग्राम सरायं तालुके थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.08.2025 को थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत तरती स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल कुमार पुत्र किशनलाल हरिजन उर्फ नन्हे निवासी ग्राम सरायं तालुके थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-163/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे0का0 कमलेश यादव, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0हे0का0 रीता यादव, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 शैलेष कुमार, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

विधि विरूद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता थाना कैण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना कैण्ट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-148/2025 धारा 298/352/351(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्ता रूबिया पत्नी राहुल कुशवाहा निवासिनी 120पी/ए/2बी/1 ऊंचवागढ़ी राजापुर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 16.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा/पीड़िता रीतिका कुशवाहा पुत्री स्व0 रमेश कुशवाहा निवासी 120पी/ए/2बी/1 ऊंचवागढ़ी राजापुर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि उसका भाई राहुल कुशवाहा व भाभी रूबिया निवासीगण 120पी/ए/2बी/1 ऊंचवागढ़ी राजापुर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज द्वारा वादिनी/पीड़िता का विधि विरुद्ध तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर अन्य संप्रदाय में शादी करवाना चाहते हैं।

उक्त सूचना पर थाना कैण्ट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-148/2025 धारा 298/352/351(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता रूबिया उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता रीतिका कुशवाहा उसकी ननद है। अभियुक्ता रुबिया उपरोक्त और उसका पति मिलकर पीड़िता का विधि विरूद्ध तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अन्य संप्रदाय में शादी कराना चाहते थे। इसके लिए ये दोनों लोग मिलकर रिश्ता भी देख रहे थे।

घटना कारित करने का तरीका-

अभियुक्ता द्वारा उसकी ननद/पीड़िता का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अन्य संप्रदाय में शादी कराने का प्रयास करना व पीड़िता द्वारा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर उसके साथ गाली गलौज करना व धमकी देना।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

रूबिया पत्नी राहुल कुशवाहा निवासिनी 120पी/ए/2बी/1 ऊंचवागढ़ी राजापुर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 34 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-148/2025 धारा 298/352/351(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 निखिल यादव, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

2. का0 मनीष कुमार, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

3. म0हे0का0 श्वेता कुमारी, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

4. म0हे0का0 पल्लवी गुप्ता, थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।